राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 453/2022

रामपाल सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.02.2022

आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवकृष्ण पुरोहित, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 1200–2050, 1400–2600 एवं 1640–2900 दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मलेरिया सर्विलांस वर्कर के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में हुई थी। अधिसूचना दिनांक 16.07.1992 के द्वारा कई पदों को एक साथ जोड़कर मल्टी पर्पज हैल्थ वर्कर (पुरूष) सामान्य वेतन श्रृंखला का पदनाम दिया गया। परंतु अपीलार्थी को उचित रूप से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जबकि 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर 1200–2050, 1400–2600, 1640–2900 अपीलार्थी के

समान मामले में अन्य कार्मिकों को दिया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा भी ऐसे मामलों में अपीलें स्वीकार की गई। अधिकरण के आदेश को राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4627/2005 को चुनौती दी गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया और अधिकरण के आदेश को उचित माना गया और इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 17.12.2015 गोविन्द दास चारण बनाम राज्य में भी कार्मिकों को उक्त चयनित वेतनमान दिया जाना उचित बताया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त चयनित वेतनमानों का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 1200–2050, 1400–2600 एवं 1640–2900 दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राज्य सरकार द्वारा पद रिक्त न होने पर कार्मिकों को पदोन्नति नहीं मिलने के कारण परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के आधार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अपीलार्थी का पद स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष का पद हो गया, जो संवर्ग में संशोधन के आधार पर किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी उक्त पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान 975–1720, 1025–1800 एवं 1200–2050 प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2064/2017 बजरंग सिंह व अन्य दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.05.2017 की अनुपालना में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 11.12.2017 के द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान क्रमशः 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 स्वीकृत किया जा चुका है। कर्मचारी पूर्व में ही 27 वर्ष पर कोर्ट के निर्णयानुसार तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मलेरिया सर्विलांस वर्कर के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में हुई थी। अधिसूचना दिनांक 16.07.1992 के द्वारा कई पदों को एक साथ जोड़कर मल्टी पर्पज हैल्थ वर्कर (पुरूष) सामान्य वेतन श्रृंखला का पदनाम दिया गया। परंतु अपीलार्थी को उचित रूप से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। अधिकरण के आदेश को राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4627/2005 को चुनौती दी गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया और अधिकरण के आदेश को उचित माना गया और इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 17.12.2015 गोविन्द दास चारण बनाम राज्य में भी कार्मिकों को उक्त चयनित वेतनमान दिया जाना उचित बताया गया है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को मलेरिया सर्विलांस वर्कर के पद पर नियुक्त किया गया था और अधिसूचना द्वारा संशोधन उपरांत मल्टी पर्पज हैल्थ वर्कर (पुरूष) (सामान्य वेतन श्रृंखला) के पद पर स्थाई किया गया, जिनका चयनित वेतनमान क्रमशः 9 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान 975–1720, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान 1200–2050 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान 1640–2900 स्वीकृत किया गया है और आदेश दिनांक 18.07.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कार्मिक को 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला 1200–2050 एवं 1640–2900 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी भी उक्त चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि चयनित वेतनमान के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार बनाम जगदीश प्रसाद (एआईआर 2010 एससी 157) में यह अभिनिर्धारित किया है कि कर्मचारीगण चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इस प्रकार उक्त निर्णय के अनुसार अपीलार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि नियमानुसार एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान 975–1720, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान 1200–2050 (संशोधित वेतन श्रृंखला 4000–6000) एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान 1640–2900 (संशोधित वेतन श्रृंखला 5500–9000) में अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए स्वीकार किया जावे और उक्त वेतन श्रृंखलाओं की समरूपी संशोधित वेतन श्रृंखलाओं में अपीलार्थी का वेतन निर्धारण करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य